



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-86

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 266088 दिनांक 10/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mamta Meena W/o MURALIDHAR MEENA एवं Murali Dhar Meena S/o MOHAN LAL MEENA	राजेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र भागसिंह भण्डारी	67	272.22 SQ. YARD	Private	BANK OFFICERS CAMPUS-D Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस-डी के भूखण्ड संख्या डी-67 क्षेत्रफल 272.22 व.ग. की लीजडीड दिनांक 02.09.2008 को राजेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र भागसिंह भण्डारी के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2012 को राजेन्द्र सिंह भण्डारी पुत्र भागसिंह भण्डारी द्वारा मुरली मनोहर सिखवाल पुत्र दामोदर लाल सिखवाल को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

09.05.2018 को
मुरली मनोहर
सिखवाल पुत्र
दामोदर लाल
सिखवाल द्वारा
ममता मीणा पत्नी
मुरलीधर मीणा
एवं मुरलीधर
मीणा पुत्र मोहन
लाल मीणा को
कर दिया गया।
आवेदकगण ममता
मीणा एवं
मुरलीधर मीणा
द्वारा लीजहोल्ड
से फ्रीहोल्ड हेतु
आवेदन किया
गया है। उक्त
भूखण्ड के मूल
दस्तावेज बैंक में
रहन है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mamta Meena W/o MURALIDHAR MEENA एवं Murali Dhar Meena S/o MOHAN LAL MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |